FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

मुकेश कुमार बनाम भूमिधारी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) राज0 का0 अधि0 मु0नं0 71 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/119

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार नीमकाथाना से प्रकरण में रास्ते के संबंध में जांच रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी होकर एवं अप्रार्थी की तलबी जरिए सम्मन की जाकर मिसल दिनांक 21.04.2025 को पेश हो। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
21/04/2025	2/5/25	
02/05/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार नीमकाथाना से प्रकरण में रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई। प्रकरण में प्रार्थना पत्र पर बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट पर सहमति जाहीर करते हुए मुताबिक अनुतोष प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, तहसीलदार नीमकाथाना से प्रकरण में प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस वकील प्रार्थी पर सगौर मनन किया गया। चूंकि मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थी की भूमि ख0नं0 2395/1152 रकबा 0.6325 हे0 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 1153 रकबा 1.35 हे0 किस्म गै0मु0बेहड खातेदारी राज0 सरकार ... होकर हैं। उपरोक्त प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई खसरा नम्बर से रास्ता नहीं हैं। अतः	

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.26 12:01:46 IST
Reason: SelfAttested

तारीख
हुक्म

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि ख0नं0 2395/1152 रकबा 0.6325 है0 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 1153 से रास्ता लंबाई 88 मीटर, चौड़ाई अधिकतम 9.15 मी. कुल क्षेत्रफल 805 वर्ग मीटर मुताबिक संलग्न ट्रेस नक्शा तहसीलदार नीमकाथाना रिपोर्ट रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। तहसीलदार नीमकाथाना प्रस्तावित रास्ता भूमि की डी0एल0सी0 दर से दुगुनी राशि राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.26 12:01:46 IST
Reason: SelfAttested